प्रेस नोट
दिनांक 28.06.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का माल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-601/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों- 1. साहिल अली पुत्र अली अहमद, 02. राहुल वर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र राजू वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6870 रुपये नगद, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद बैग बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी सुरेन्द्र कुमार गिरि पुत्र रामपाल निवासी ग्राम महादेवा, पोस्ट केशवपुर पहड़वा, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 27.06.2026 को वह लखनऊ से ट्रेन द्वारा रात्रि लगभग 02:30 बजे गोण्डा रेलवे स्टेशन पहुँचा। वहाँ से पैदल अपने घर जाते समय जयनारायण चौराहे से लगभग 200 मीटर आगे बड़गाँव मार्ग पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उसका बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में ₹9,000 नकद, आधार कार्ड, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन एवं कुछ कपड़े रखे थे। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन अवलोकन किया गया तथा घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 28.06.2026 को घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों 1. साहिल अली पुत्र अली अहमद, 02. राहुल वर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र राजू वर्मा को रेलवे स्टेशन गोण्डा से लगभग 400 मीटर आगे रानीजोत मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6870 रुपये नगद, 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद बैग बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. साहिल अली पुत्र अली अहमद निवासी महारानीगंज घोसियाना (तकिया मस्जिद के पीछे), थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
2. राहुल वर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र राजू वर्मा निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-601/2026 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 6870 रुपये नगद
2. 01 अदद आधार कार्ड
3. 01 अदद बैग
4. बैग के अंदर 02 अदद पैंट-शर्ट

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अजय कुमार सिंह।
2. उ0नि0 सुनील कुमार।
3. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय।
4. हे0का0 दीनदयाल यादव।

5. का0 विनय राय।
6. का0 उत्तम दीक्षित।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 28.06.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चेन चोरी करने वाली 02 महिला अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की चेन बेचकर प्राप्त 50,322 रुपए बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-469/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्ता- 01. सरिता पुत्री लोरिक निवासी बढ़या, थाना उरूआ बाजार, जनपद गोरखपुर, 02. माया पत्नी विजय कुमार निवासी मुन्डेरा, थाना धनघटा, जनपद संत कबीरनगर को रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की चेन बेचकर प्राप्त 50,322 रुपए बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.2026 सोमवार को दुखहरननाथ मन्दिर में जल चढ़ाने गयी 02 महिला श्रद्धालुओं की गर्दन से 02 सोने की चैन अज्ञात महिलाओं के द्वारा श्रद्धालु बनकर चोरी कर लिया गया जिसपर थाना कोतवाली नगर गोण्डा में मु०अ०सं० 451/26 धारा 303(2) BNS व मु०अ०सं० 469/26 धारा 303(2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मन्दिर में लगे सीसीटीवी कैमरे व बाहर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज के आधार पर तीनों महिलाओं की पहचान की गयी, जिसमें पूर्व में 01 महिला दीपमाला को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से उक्त अभियोग मु०अ०सं० 451/26 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित चोरी हुए सोने की चेन बरामद की गई थी। आज दिनांक 28.06.2026 को उक्त अभियोग मु०अ०सं० 469/26 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तागण 01. सरिता पुत्री लोरिक निवासी बढ्या थाना उरूआ बाजार जनपद गोरखपुर, 02. माया पत्नी विजय कुमार निवासी मुन्डेरा थाना धनकटा जनपद संत कबीरनगर को रेलवे स्टेशन गोण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के सोने की चैन बेचने से प्राप्त धनराशि कुल 48,822/- रू० भारतीय व कुल 1500 रूपये नेपाली मुद्रा बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्ता के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

01. सरिता पुत्री लोरिक निवासी बढ़या, थाना उरूआ बाजार, जनपद गोरखपुर।
02. माया पत्नी विजय कुमार निवासी मुन्डेरा, थाना धनघटा, जनपद संत कबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-469/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

₹48,822 भारतीय मुद्रा
₹1,500 नेपाली मुद्रा
कुल बरामदगी – ₹50,322 (चोरी की सोने की चेन बेचकर प्राप्त धनराशि)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 प्रशान्त कुमार
का0 मदन त्रिवेदी
का0 अमित यादव
म0का0 शिखा कश्यप
म0का0 सुष्मिता

मीडिया सेल, गोण्डा।